कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्सः 05962.232182 ई–मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 2164 /12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 19-10-2020

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

विषय – **अल्मोड़ा के अन्तर्गत विकास खण्ड भैसियाछाना के ग्राम पूनाकोट से कालिका मन्दिर तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य है। वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावों के सम्बन्ध में।**

संदर्भ– आपका पत्रांक 35/3सी0 दिनांक 06.01.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में मेरे द्वारा दिनांक 14.10.2020 को प्रस्तावित सड़क मार्ग का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ विचारणीय तथ्य सामने आये हैं जिनका उल्लेख निरीक्षण टिप्पणी में विस्तारपूर्वक किया गया है। निरीक्षण टिप्पणी से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का संरेखण परिवर्तित कर क्षेत्र में पूर्व से निर्मित कच्चे मार्ग से वैकल्पिक संरेखण तैयार कर नवीन संशोधित प्रस्ताव तैयार किया जाना सर्वदा उपयुक्त रहेगा व वर्तमान में प्रस्तावित संरेखण के अनुसार सड़क मार्ग का निर्माण किया जाना जन साधारण व वन्य जीव के प्रभावित होने के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। अतः उक्त मोटर मार्ग के निर्माण की संस्तुति नहीं की जा सकती है।

भवदीय,

Mahat

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

पत्राक / दिनांकित

प्रतिलिपि– वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

Mahat

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Mahat

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

निरीक्षण टिप्पणी

आज दिनांक 14.10.2020 को प्रातः 07:30 बजे जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा, विकासखण्ड भैसियाछाना के ग्राम पूनाकोट से कालिका मंदिर तक लिंक मोटर मार्ग प्रस्ताव संख्या 44382/2020 का अधीनस्थ स्टाफ के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया। मौके पर वन क्षेत्राधिकारी, अल्मोड़ा श्रीमती संचिता वर्मा, अनुभाग अधिकारी, बाड़ेछीना, श्री रघुवर सिंह बिष्ट, वन बीट अधिकारी, श्री हरेंद्र सतवाल उपस्थित रहे। प्रस्तावक विभाग, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा की ओर से सहायक अभियंता, श्री गोविंद बल्लभ जोशी तथा अवर अभियंता, श्री किशोर पटवाल उपस्थित रहे।

उक्त टीम द्वारा संपूर्ण समरेखण का पैदल स्थलीय निरीक्षण किया गया। मोटर मार्ग को तीन हिस्सों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है।

1. Start Point से निर्माणाधीन पी0एम0जी0एस0वाई0 दलबैण्ड से नैणी रोड के मिलान तक (Point-A) (लगभग 800 मी0)– उक्त क्षेत्र में विधायक निधि द्वारा पूर्व में रोड कटान किया जा चुका है जिसकी चौड़ाई 03 से 04 मी0 है। प्रस्तावक विभाग के कर्मचारियों द्वारा अवगत कराया गया कि विधायक निधि द्वारा निर्मित मोटर मार्ग का ही सुधार किया जायेगा।
2. Point-A के पश्चात एक अन्य कच्चा मोटर मार्ग उपस्थित है। प्रस्तावित समरेखण इस कच्चे मोटर मार्ग के ऊपर ही लगभग अगले 01 कि0मी0 तक स्थित है। प्रस्तावक विभाग के कर्मचारियों द्वारा अवगत कराया गया कि इस कच्चे मोटर मार्ग का ही चौड़ीकरण और सुधार किया जायेगा। यह कच्चा मोटर मार्ग आगे चलकर कालिका मंदिर तक ही पहुॅचता है किन्तु Point-A से लगभग 01 कि0मी0 (Point-B) जाने के बाद समरेखण परिवर्तित हो जाता है।
3. Point-B से Endpoint तक– Point-B से करीब 200 मी0 आगे प्राकृतिक जलस्रोत स्थित है जहॉ पर पानी की टंकी भी बनी हुई है और ग्रामवासियों को जलापूर्ति हेतु पाईप लाईन लगी हुई है। इसके बाद के समरेखण में भारी मात्रा में बॉज और चौड़ी पत्ती प्रजाति के वृक्ष वन स्वरूप में मौजूद हैं। समरेखण उक्त प्राकृतिक जलस्रोत से निकलने वाली जलधारा के ठीक बगल से जाता है और कालिका मंदिर में मिल जाता है।

यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में पूनाकोट से कालिका मंदिर तक कच्चा मोटर मार्ग मौजूद है जिसका डामरीकरण किया जा सकता है किन्तु उपरोक्त बिन्दु संख्या 03 का समरेखण इस मोटर मार्ग से अलग है। बेहतर होता कि संपूर्ण समरेखण पुराने कच्चे मोटर मार्ग के साथ–साथ होता। पुराने कच्चे मोटर मार्ग को डामरीकरण अथवा चौड़ीकरण करने में सिर्फ चीड़ के पेड़ आ रहे हैं और कोई भी जलस्रोत प्रभावित नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त नया रोड कटान भी न्यूनतम होगा।

मार्ग के स्थलीय निरीक्षण में तेंदुए के पगमार्ग पाये गये जो कि जलस्रोत की ओर जा रहे थे। यह स्पष्ट है कि उक्त जलस्रोत उसका प्राकृतिक वास स्थल है। अतः उपरोक्त बिन्दु संख्या 03 के हिस्से में रोड कटान से उसका प्राकृतिक वास स्थल प्रभावित होगा जिससे कि मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक जलस्रोत पर भी नकारात्मक प्रभाव पढ़ेगा।

उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस मोटर मार्ग के निर्माण की संस्तुति नहीं की जा सकती।

Mahat 14/10/2020.

क्षेत्रीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

Mahadi